[2021] 2 एस. सी. आर 314

रेखा सेंगर

वी.

मध्य प्रदेश राज्य

(2021 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) No.380)

21 जनवरी, 2021

[मोहन

M.SHANTANAGOUDAR, वाइन सरन और अजय रस्तोगी, जेजे।]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-- s.439-जमानत-गैर जमानती मामले-याचिकाकर्ता और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और लिंग चयन गर्भपात में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए एफ. आई. आर. जमानत से इनकार किया गयाः गैर-जमानती मामलों में, प्राथमिक कारक

अदालत को जमानत देने के विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय इस बात पर विचार करना चाहिए कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता, समाज पर इसका प्रभाव, और क्या अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला है-वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है-सह-अभियुक्त के साथ समानता देने का कोई आधार नहीं है-जिसकी कथित भूमिका केवल याचिकाकर्ता के मुवक्किलों को उठाने और छोड़ने तक सीमित थी-याचिकाकर्ता की प्रथम दृष्टया कथित अवैध चिकित्सा प्रथाओं के संचालन में अधिक सक्रिय भूमिका थी-उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को बरकरार रखा गया-मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 -

गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम) अधिनियम, 1994-एस. एस. 6 , 23 , 27 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872। 27

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. के खिलाफ आरोपों की गंभीरता

गर्भधारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम) अधिनियम, 1994 (पी. सी. और पी. एन. डी. टी. अधिनियम)। धारा 6 भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी सहित प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। धारा 23 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक अपराध। इसके अतिरिक्त, धारा 27 में कहा गया है कि उक्त अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती, गैर-शमनीय और संज्ञेय होने चाहिए। गैर-जमानती मामलों में, अदालत को जमानत देने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय जिन प्राथमिक कारकों पर विचार करना चाहिए, वे हैं अपराध की प्रकृति और गंभीरता, समाज पर इसका प्रभाव, और

क्या अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला है। आरोप पत्र प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ एक मामले की उपस्थिति को दर्शाता है। कलेक्टर के आदेश पर पी. सी. और पी. एन. डी. टी. सलाहकार समिति, ग्वालियर के सदस्य; नोडल अधिकारी, पी. सी. और पी. एन. डी. एन. टी.; और महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया। टीम ने एक अनाम गर्भवती महिला की सेवाओं का उपयोग किया, जिसने भ्रूण के लिंग निर्धारण और लिंग-चयनात्मक गर्भपात की मांग करते हुए याचिकाकर्ता से संपर्क किया। याचिकाकर्ता ने इसके लिए 7,000 रुपये स्वीकार किए, जिसके बाद टीम ने उसके आवास की तलाशी ली। निवास से, बिना पंजीकरण या लाइसेंस के एक अल्ट्रासाउंड मशीन, लिंग-निर्धारण में उपयोग होने वाला गोद लेने वाला और जेल, और गर्भपात और लिंग-निर्धारण के दौरान उपयोग किए जाने वाले अन्य चिकित्सा उपकरण जब्त किए गए। यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत है कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। याचिकाकर्ता। [पैरा 2,3] [316-एफ-एच; 317-ए-सी]

1.2 एफ. आई. आर. और आरोप पत्र में लगाए गए आरोप, जैसे -

निर्धारण और लिंग चयनात्मक गर्भपात। जबकि सह-अभियुक्त की कथित भूमिका केवल उठाने और उठाने तक सीमित थी। याचिकाकर्ता के मुवक्किलों को छोड़ना। याचिकाकर्ता को सह-अभियुक्त के साथ समानता देने का कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को बरकरार रखा गया है। [पैरा 6,7] [319-ई-जी]

स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन ऑफ इंडिया बनाम पंजाब राज्य

(2013) 4 एससीसी 1: [2013] 5 एस. सी. आर. 111-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 5 एससीआर 111

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश

2021 की याचिका (आपराधिक) संख्या 380

उच्च न्यायालय के 07.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 के एम. सी. आर. सी. सं. 48262 में ग्वालियर में मध्य प्रदेश सरकार की पीठ।

सुश्री साक्षी विजय, तपेंद्र शर्मा, पालव अग्रवाल, आशुतोष

कुमार, अस्तिक गुप्ता, मनान पटेल, वरुण कुमार, त्रिलोकी नाथ राजदान, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, जे.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('Cr.P.C.') की धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मध्य प्रदेश के थाना शहर कोटवाली मुरैना में 26.9.2020 पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्रदेश ने जन्म से पहले लिंग निर्धारण और कानून के तहत आवश्यक पंजीकरण या लाइसेंस के बिना अपने आवास पर महिला भ्रूण के गर्भपात में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता सितंबर 2020 से हिरासत में है। जमानत के लिए उनका पहला आवेदन (जमानत आवेदन संख्या 1203/2020) विद्वान IV अतिरिक्त द्वारा खारिज कर दिया गया था। सत्र न्यायाधीश, मोरेना को 01.10.2020 पर, और उच्च न्यायालय (एमसीआरसी-39649-2020) के समक्ष उनकी बाद की जमानत याचिका को 14.10.2020 पर वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों के तहत और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए 6.11.2020 पर आरोप पत्र दायर किया गया था।

(' पी. सी. और पी. एन. डी. टी. अधिनियम)। मुकदमा लंबित है।

इस बीच, याचिकाकर्ता ने धारा 439, Cr.P.C के तहत जमानत देने के लिए फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 7.12.2020 के विवादित आदेश के माध्यम से तथ्यों पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीड़ित याचिकाकर्ता ने जमानत के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

2. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की गंभीरता पी. सी. और पी. एन. डी. टी. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित है। धारा 6 भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी सहित प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। धारा 23 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक अपराध है। इसके अतिरिक्त, धारा 27 में कहा गया है कि उक्त अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती, गैर-शमनीय और संज्ञेय होने चाहिए।

यह अच्छी तरह से तय है कि गैर-जमानती मामलों में, अदालत को जमानत देने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय जिन प्राथमिक कारकों पर विचार करना चाहिए, वे हैं - अपराध की प्रकृति और गंभीरता, समाज पर इसका प्रभाव, और क्या

अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है।

रेखा सेंगर बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

3. आरोप पत्र प्रथम दृष्टया एक की उपस्थिति को दर्शाता है

याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला। कलेक्टर के आदेश पर पी. सी. और पी. एन. डी. टी. सलाहकार समिति, ग्वालियर के सदस्य; नोडल अधिकारी, पी. सी. और पी. एन. डी. एन. टी.; और महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया। टीम ने एक अनाम गर्भवती महिला की सेवाओं का उपयोग किया, जिसने भ्रूण के लिंग निर्धारण और लिंग-चयनात्मक गर्भपात की मांग करते हुए याचिकाकर्ता से संपर्क किया। याचिकाकर्ता ने इसके लिए 7,000 रुपये स्वीकार किए, जिसके बाद टीम ने उसके आवास की तलाशी ली। निवास से, बिना पंजीकरण या लाइसेंस के एक अल्ट्रासाउंड मशीन, लिंग-निर्धारण में उपयोग होने वाला गोद लेने वाला और जेल, और गर्भपात और लिंग-निर्धारण के दौरान उपयोग किए जाने वाले अन्य चिकित्सा उपकरण जब्त किए गए। यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है।

4. अपराध की गंभीरता को समझने के लिए, यह अनिवार्य है कि

पी. सी. और पी. एन. डी. टी. अधिनियम के विधायी इतिहास पर ध्यान दें। प्रस्तावना का संदर्भ दिया जा सकता है; जो इस प्रकार हैः

" लिंग चयन के निषेध के लिए प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम, पहले या गर्भधारण के बाद, और प्रसवपूर्व निदान के विनियमन के लिए

आनुवंशिक असामान्यताओं का पता लगाने के उद्देश्यों के लिए तकनीकें या

जन्मजात विकृतियाँ या लिंग संबंधी विकार और लिंग निर्धारण के लिए उनके दुरुपयोग की रोकथाम जिससे महिलाएँ होती हैं

भ्रूण हत्या; और, उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए

वहाँ "।

(जोर दिया गया)

इस अधिनियम का पारित होना एक सांस्कृतिक इतिहास के कारण मजबूर था

भारत में पुरुष बच्चे के लिए वरीयता, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों के पितृसत्तात्मक जाल में निहित है। इसने कई सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया है जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, युवा लड़कियों की तस्करी, और दुल्हन की खरीद और अब, प्रौद्योगिकी, लिंग-चयन और कन्या भ्रूण हत्या के आगमन के साथ। इस वरीयता की व्यापकता इसके माध्यम से परिलक्षित होती है भारत में विषम लिंग-अनुपात पर जनगणना के आंकड़े। 1901 की जनगणना से शुरू, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं दर्ज की गईं; 1961 में 941 महिलाओं और 1971 में 930 महिलाओं की कुल गिरावट आई, जो 1991 में 927 महिलाओं तक गिर गई। प्री-नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज) बिल, 1991 पर लोकसभा में हुई चर्चाओं के रिकॉर्ड इस खतरनाक स्थिति के प्रति विभिन्न सदस्यों की चिंता को

दर्शाते हैं, जिसने पी. सी. और पी. एन. डी. टी. [2021] 2 एस. सी. आर. को पारित करने के लिए एक स्पष्ट आह्वान के रूप में काम किया।

एक्ट करें। (देखिएः लोकसभा बहस, दसवीं श्रृंखला, खंड। XXXIII नंबर 2,26 जुलाई, 1994, ग्यारहवां सत्र, पृष्ठों पर 506-544)।

प्रसव पूर्व लिंग चयन और भ्रूण हत्या की व्यापकता ने भी अंतर्राष्ट्रीय निंदा को आकर्षित किया है और सख्त विनियमन की मांग को उकसाया है।

जबकि पी. सी. और पी. एन. डी. टी. अधिनियम के पारित होने के बाद से लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, जो 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 933 हो गया है, और फिर 2011 की जनगणना में 943 हो गया है, ये हानिकारक प्रथाएं अभी भी प्रचलित हैं। राज्य सभा में तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा 27.3.2018 पर दायर जवाब के अनुसार, दिसंबर 2017 तक, अधिनियम के तहत लगभग 3,986 अदालती मामले दायर किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप केवल 449 लोगों को दोषी ठहराया गया था और चिकित्सा लाइसेंस के निलंबन के 136 मामले थे। इस अनैतिक प्रथा की निरंतरता, विश्व स्तर पर साझा समझ कि यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक रूप है, और लैंगिक समानता और गरिमा के ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने की इसकी क्षमता जो हमारे संविधान का आधार है, वे सभी कारक हैं जो स्पष्ट रूप से जन्म से पहले लिंग निर्धारण को एक गंभीर अपराध के रूप में स्थापित करते हैं जिसके समग्र रूप से समाज के लिए गंभीर परिणाम होते हैं।

5. हम भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियों का भी लाभ के साथ उल्लेख कर सकते हैं। पंजाब राज्य (2013) 4

एस. सी. सी. 1, निम्नानुसार हैः

अधिनियम को ठीक से और प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रभावी पर्यवेक्षण या अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है। विभिन्न सोनोग्राफी केंद्रों का मशरूमिंग, देश के लगभग सभी हिस्सों में आनुवंशिक क्लीनिक, आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशालाएं, अल्ट्रासोनिक क्लीनिक, इमेजिंग केंद्र अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा अधिक सतर्कता और ध्यान देने की मांग करते हैं। लेकिन, दुर्भाग्य से, अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा उनके कामकाज की ठीक से निगरानी या निगरानी नहीं की जा रही है या यह पता लगाने के लिए कि क्या रेखा सेंगर बनाम।

वे प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों का दुरुपयोग कर रहे हैं

भ्रूण के लिंग का निर्धारण भ्रूण हत्या की ओर ले जाता है। 7 ..... शायद ही कभी, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस तरह के लिंग निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली अल्ट्रासाउंड मशीनों को जब्त कर लिया जाता है

और, जब्त किए जाने पर भी, उन्हें कानून का उल्लंघन करने वालों को केवल अपराध दोहराने के लिए रिहा किया जा रहा है। शायद ही कुछ मामले दोषसिद्धि में समाप्त होते हैं। अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामले देश की कई अदालतों में कई वर्षों से लंबित हैं और कोई भी उनके निपटारे में कोई दिलचस्पी नहीं लेता है और इसलिए, शायद ही कभी, वे मामले दोषसिद्धि और सजा में समाप्त होते हैं, एक तथ्य जो कानून का उल्लंघन करने वालों को अच्छी तरह से पता है।

वर्तमान मामले में, प्रचलित प्रथा के विपरीत, जांच दल ने सोनोग्राफी मशीन को जब्त कर लिया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। इसलिए, हम यह अनिवार्य पाते हैं कि इस स्तर पर कोई नरमी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह इस धारणा को मजबूत कर सकता है कि पी. सी. और पी. एन. डी. टी. अधिनियम केवल एक कागजी बाघ है और क्लीनिक और प्रयोगशालाएं लिंग निर्धारण और भ्रूण हत्या को दंड से मुक्त कर सकती हैं। अगर हमें अपने समाज से कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं के प्रति अन्याय के अभिशाप को खत्म करना है तो एक सख्त दृष्टिकोण अपनाना होगा। हालाँकि यह निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के लिए खुला है कि वह मुकदमे के चरण में इन आरोपों के गुण-दोष को गलत साबित करे।

6. तथ्य यह है कि वर्तमान मामले में सह-अभियुक्त को एम. सी. आर. सी. No.39380/2020 में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

यह हमारे निष्कर्षों को नहीं बदलता है। एफ. आई. आर. और आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत दिए गए प्रकटीकरण बयानों से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता की लिंग निर्धारण और लिंग-चयनात्मक गर्भपात की कथित अवैध चिकित्सा प्रथाओं के संचालन में अधिक सक्रिय भूमिका थी। जबकि सह-अभियुक्त की कथित भूमिका केवल याचिकाकर्ता के मुवक्किलों को उठाने और छोड़ने तक सीमित थी। इसलिए, हम याचिकाकर्ता को सह-अभियुक्त के साथ समानता देने का कोई आधार नहीं पाते हैं।

7. इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य की उपस्थिति और ऊपर उल्लिखित अन्य कारकों को देखते हुए, हम खुद को पाते हैं

याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को बनाए रखने के लिए मजबूर। हालाँकि, भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्देशों के आलोक में ऐसे मामलों के त्वरित निपटान को अनिवार्य करते हुए याचिकाकर्ता के लिए यह अनुरोध करने के लिए खुला है कि वह निचली अदालत से अपने मुकदमे में तेजी लाने और 1 वर्ष की अवधि के भीतर इसका फैसला करने का अनुरोध करे।

8. हम यह स्पष्ट करते हैं कि तथ्यों पर उपरोक्त टिप्पणियां केवल वर्तमान याचिका पर निर्णय लेने के लिए की गई हैं। तथ्यों पर की गई कोई भी टिप्पणी मुकदमे को पूरा करने और मामले का फैसला करने के लिए निचली अदालत के रास्ते में नहीं आएगी। इस मामले का फैसला निचली अदालत तथ्यों के आधार पर अपने गुण-दोष के आधार पर करेगी। विशेष अनुमति याचिका तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे